न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग./3687/2018/छतरपुर/भू.रा.

श्री प्रेम सिंह धाकड़ अभि० द्वारा आज दि० 12/06/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 29/06/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

श्रीराम विश्वकर्मा पुत्र श्री आशाराम विश्वकर्मा, निवासी– ग्राम सौरा, तहसील व जिला– छतरपुर (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959, न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 1019/अपील/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, विवादित भूमि मौजा सौरा, के सर्वे क्र. 1042/1 रकवा 2.19 हैक्टेयर भूमि आवेदक के पिता आशाराम पुत्र गनेशी लुहार के नाम पर संम्वंत 2013 से 2017 के खसरा एवं निरंतर 1964 तक गैरहकदार कृषक के रूप में दर्ज रही तथा नामांतरण पंजी क. 17 वर्ष 1985–86 में पारित आदेश दिनांक 18.11.1986 को भूमि स्वामी घोषित किया गया था। वंदोवस्त के पश्चात नवीन सर्वे क. 1161, 1162/1, 1016, 1159, कुल किता 4 कुल रकवा 1.580 हेक्टेयर निर्मित हुये जिसके पश्चात राजस्व कम्पयूटर अभिलेख में बिना किसी आदेश के उक्त प्रश्नाधीन भूमि शासकीय अभिलेख बिना किसी आदेश के उक्त प्रश्नाधीन भूमि शासकीय लेख किये जाने की गलत प्रविष्टि कर दी गयी। जिसकी जानकारी होने पर दुरूस्तं कराने हेतु एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के तहत तहसीलदार महोदय छतरपुर के समक्ष पेश किया गया जिसे तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क. 74/अ–6–अ/2016 पर दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 17.10.16 ...

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ...... से ......
पृष्ठ क्र. 01 ......
दिनांक 12/6/18
हस्ताक्षर व नाम ......

(C.S. Dhakad Adv.)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3687/2018/छतरपुर/भू.रा. श्रीराम विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	आवेदक की ओर से श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री राजेश पाठक, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक बाह्य नजूल घोषित भूमि को अपने नाम से कम्प्यूटर में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया । जिसे तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया गया । आवेदक द्वारा 43 दिन बाद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब के बिन्दू पर निरस्त कर दिया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 4.7.18	Noted 5/7/18